19

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 28 मार्च,1999 की सांय 4 बजे, मुख्यमंत्री, दिल्ली के पुराना सचिवालय, दिल्ली–110 054 स्थित सभाकक्ष में हुई 19वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि.ज.बोर्ड
3.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दि.न.नि.	सदस्य, दि.ज.बोर्ड
4.	श्री आर.सी.वर्मा, सदस्य, दि.न.नि.	सदस्य, दि.ज.बोर्ड
5.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रमुख सचिव (श.वि.)	सदस्य, दि.ज.बोर्ड
6.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य(प्रशा.)	सदस्य, दि.ज.बोर्ड

4.2.1999 को सम्पन्न पिछली बैठक के कार्यवृत्त मद संख्या 189 में निम्न संशोधन के साथ पुष्टि कर दी गई :–

"नियुक्ति की पद्वति पर पुर्नविचार के पश्चात् बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस मद को वापिस लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई"।

संकल्प संख्या 194

मद संख्या 196 दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद के भर्ती विनियमों में संशोधन ।

संकल्प लिया गया कि निदेशक (प्रशा. एवं का.) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/74 दिनांक–9.2.99 के संलग्नक 4 में दिए प्रस्ताव के अनुसार भर्ती विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 195

मद संख्या 197 दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.) के पद के भर्ती विनियमों में संशोधन ।

संकल्प लिया गया कि निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/75 दिनांक–9.2.99 के संलग्नक 4 में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार भर्ती विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि उन शिफ्ट इन्चार्जों को, जो डिप्लोमा धारक हैं उनके मामले की भी के.लो.नि.वि. तथा अन्य संबंधित काडरों में लागू पद्वति के अनुसार उनके लिये भी पदोन्नति की व्यवस्था की जॉच की जाए ।

संकल्प संख्या 196

मद संख्या 198 होली डे होम, मसूरी के लिये 1.12.1998 से 31.3.1999 तक के लिये अस्थायी आधार पर एक "अटेन्डेन्ट" के पद को जारी रखने सहित 1.4.1999 से स्थायी आधार पर पद का सृजन ।

संकल्प लिया गया कि निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/76 दिनांक–19.2.99 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार होली डे होम, मसूरी के लिये रू0 2550–3200 + विशेष वेतन के वेतनमान में 1.12.98 से 31.3.99 तक के लिये अस्थायी आधार पर "अटेन्डेन्ट" के पद को जारी रखने सहित 1.4.99 से पद का स्थायी आधार पर सृजन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 197

मद संख्या 199 अलीपुर खण्ड, दिल्ली के हिरनकी क्षेत्र में आर.एम.इ. सहित रैनी कुंआ ए–5 के शेष कार्य को पूरा करना (उपशीर्ष–अ) तथा अलीपुर खण्ड में हिरनकी क्षेत्र में आर.डी.–13.200 कि0मी0 पर आर.एम.इ. सहित रैनी कुंआ न0–5 पर क्लोरीनेटर रूम के निर्माण का अतिरिक्त कार्य (उपशीर्ष–ब) ।

संकल्प लिया गया कि मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/123 दिनांक–3.3.99 में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त कार्य को 22.7.98 को उद्धृत मूल दर से 5% छूट सहित बातचीत से प्राप्त दर तथा बिलों के शीघ्र भुगतान (14 दिनों के अन्दर) किये जाने पर 3–1/2% अतिरिक्त छूट के साथ रूपये–66,20,547.10 की कुल लागत पर मै0 अमर शाह कंसट्रक्शन प्रा0 लि0 को आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मद पर बातचीत के दौरान श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य ने इंगित किया कि अनुबंधों को मात्र न्यूनतम निविदा के आधार पर ही नहीं आबंटित किया जाना चाहिये क्योंकि उनके क्षेत्र में चल रहे कुछ कार्यो को ठेकेदार इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें अनुभव एवं क्षमता की कमी है । उन्होंने इसका भी उल्लेख किया कि यू.और बी. ब्लाक, शालीमार बाग का सीवर कार्य अध्यक्ष की उस स्वीकृति से आबंटित किया जिस स्वीकृति शक्ति का उपयोग आपातकालीन स्थितियों में ही होता है । उन्होंने कार्य की तात्कालिकता जानना चाहा । श्री आर.के.जैन, मुख्य अभियंता (सी)–2 ने सूचित किया कि उस मामले में अत्यन्त न्यून दर प्राप्त हुआ था तथा यदि उसे शीघ्र स्वीकृत नहीं किया जाता तो ठेकेदार पीछे हट जाता । अध्यक्ष महोदया ने टिप्पणी की कि वह इस शक्ति पर पुर्नविचार करना चाहेंगी तथा तदनुसार विचार हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये । उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि गलत अनुमान प्रस्तुत करने के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था अपनायी जानी चाहिये कि अनुबंधों का आबंटन वास्तविक अनुमानों पर आधारित हो । कार्यवृत की पुष्टि की प्रत्याशा में कार्य आदेश जारी करने का भी संकल्प लिया ।

संकल्प संख्या 198

मद संख्या 200 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्रकों/टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति हेतु वाहनों को किराये पर लेना ।

यह संकल्प लिया गया कि मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/124 दिनांक–3.3.99 में दिये गये प्रस्ताव एवं उसकी शर्तों के साथ ट्रकों/टैंकरों के किराये पर लेने की सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य ने यह टिप्पणी की कि टैंकरों का रखरखाव अत्यन्त असंतोषजनक है तथा विभाग को इनका संतोषप्रद प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास करने चाहिये । अध्यक्ष महोदया ने भी श्रीमती बंसल की टिप्पणी से सहमति व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने केशोपुर के मार्ग में खराब पड़े टैंकरों को स्वयं देखा है । उन्होंने कहा कि एस.डी.एम./विधायकों/पार्षदों/कल्याण समितियों को भी इन टैंकरों की नियुक्ति में शामिल किया जाना चाहिये । यह भी इच्छा व्यक्त की गई कि इन टैंकरों की नियुक्ति (क्षेत्रवार) कि एक सूची बोर्ड की अगली बैठक में सदस्यों की सूचना हेतु प्रस्तुत की जाए ।

संकल्प संख्या 199

मद संख्या 201 दिल्ली जल बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के निवास पर दूरभाष की व्यवस्था ।

निदेशक(प्रशा.एवं.का.) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/77 दिनांक 3.3.99 द्वारा बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के निवास पर दूरभाषों को जारी रखने के संबंध में दी गई सूचना को रिकार्ड कर लिया गया श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य ने शिकायत की कि उनके निवास पर लगे टेलीफोन का भुगतान नहीं किया जाने के कारण वह दिसंबर 1998 से कटा हुआ है तथा उनके द्वारा पता बदले जाने पर भी कोई टेलीफोन नहीं स्थापित किया गया है ।

संकल्प संख्या 200

मद संख्या 202 वजीराबाद में 10 मि.गै.दै. क्षमता के जल उपचार संयंत्र का खण्ड अनुमान ।

टी.सी.ई. रिर्पोट के मद्देनजर आगे के अध्ययन के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस मद को वापिस लेने की मांग की । तदनुसार, विस्तृत अध्ययन के पश्चात् इस मद को पुनः प्रस्तुत करने हेतु इसे वापिस लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई । श्रीमती रोशनी बंसल ने इस बीच सलाह दी कि चन्द्रावल के पुराने पम्पों को बेहतर कार्य कुशलता हेतु बदला जाए । प्रमुख अभियंता ने बताया की पम्पों को चरणबद्व ढ़ंग से बदला जा रहा है ।

संकल्प संख्या 201

मद संख्या 203 फ्लाई ओवर के निर्माण के कारण सफदरजंग चौराहे पर 24" व्यास तथा 21" व्यास की सी. आई. पानी की लाइनों को 600 मि.मी. व्यास तथा 500 मि.मी. व्यास के एम.एस. पानी की लाइनों के साथ स्थानान्तरित किया जाना ।

संकल्प लिया गया कि मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/126 दिनांक 8.3.99 में दिये प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त कार्य के लिये की गई सिफारिश के अनुसार रू079,81,731/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने टिप्पणी की कि इस कार्य को तीन माह के अन्दर पूरा करा लिया जाना चाहिये क्योंकि उपराज्यपाल महोदय ने इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी किये हैं । मुख्य अभियंता (सी)–3 ने स्थानान्तरण कार्य के लिये कम से कम समय लेने का आश्वासन दिया ।

संकल्प संख्या 202

मद संख्या 204 ओखला में 40 मि0गै0दै0 के जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिये खण्ड अनुमान ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/127 दिनांक 8.3.99 के प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिये रूपये 137करोड़ के अनुमानों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई । आगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निहित अधिकारों के अर्न्तगत दि.वि.बोर्ड, दि.न.नि., रेलवे तथा अन्य विभागों को भुगतान करने हेतु अधिकृत कर दिया गया ।

संकल्प संख्या 203

मद संख्या 205 दिल्ली के विभिन्न अनधिकृत कालोनियों में 100 गहरे नलकूपों की स्थापना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/128 दिनांक 8.3.99 में वर्णित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने उपरोक्त कार्य को उक्त पत्र में उल्लिखित दरों एवं कुल लागत पर चार (4) विभिन्न फर्मों को आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य ने चालू नलकूपों (स्थानवार) तथा ऐसे नलकूपों जो सफल नहीं हुए, की संख्या जाननी चाही । श्री वर्मा, सदस्य ने बताया कि उनके क्षेत्र के चार नलकूप पिछले एक वर्ष से विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो पायें है । अध्यक्षा ने टिप्पणी की कि इस परियोजना में क्षेत्रीय विधायकों/पार्षदों को शामिल किया जाये तथा इनके कार्यों में तेजी लाई जाये ।

मद संख्या 206 दिल्ली जल बोर्ड की यमुनापार क्षेत्र से संबंधित कार्यो को एक मुख्य अभियंता के अधीन लाना – अधीक्षण अभियंता (सी) के एक पद एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों तथा एक अधि0 अभियंता (सी) के डिवीजन का सृजन ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रस्ताव के अनुसार और अध्ययन हेतु उक्त मद को वापस लेने की अनुमति दे दी गई ।

मद संख्या 207 महरौली तथा रोहिणी के लिये दो जल अनुरक्षण डिविजनों का सृजन ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रस्ताव के अनुसार विस्तृत अध्ययन हेतु उक्त मद को वापिस लेने की अनुमति दे दी गई ।

संकल्प संख्या 204

मद संख्या 208 श्री बालेश्वर राय, भा0प्र0से0, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड की 24.1.99 से 6.2.99 की प्रशिक्षण सह अध्ययन हेतु जापान यात्रा पर रिर्पोट ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/80 दिनांक 8.3.99 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिर्पोट पर विचार के पश्चात् उसे रिकार्ड करने की बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रिर्पोट की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा दिया तथा उस पर विस्तृत अध्ययन के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड में उसे लागू करने की इच्छा व्यक्त की ।

संकल्प संख्या 205

मद संख्या 209 नये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट पर निगरानी/सूरक्षा की व्यवस्था – सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/81 दिनांक 8.3.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् निविदा आमंत्रण द्वारा ओखला में नये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिये निजी सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी । परियोजना की समाप्ति की तिथि से एजेन्सी कार्य करेगी ।

संकल्प संख्या 206

मद संख्या 210 नांगलोई कालोनियों के समूह के फ्रेन्ड्स एन्कलेव में आंतरिक सीवरों की व्यवस्था/बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/129 दिनांक 8.3.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् बोर्ड ने नांगलोई कालोनियों के समूह के फ्रेन्डस एन्कलेव में सीवरेज योजनाओं के लिये रू0 30.99 लाख के अनुमान को बोर्ड द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई । अध्यक्ष महोदया ने यह भी सूचित किया कि अन्य संबंधित विभागों से तालमेल हेतु प्रमुख सचिव (शहरी विकास) नोडल अधिकारी का कार्य करें ।

संकल्प संख्या 207

मद संख्या 211 नांगलोई सैयद, दिल्ली में 40 मि0गै0दै0 क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र संख्या दिनांक 29.1.99 के प्रस्ताव तथा पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/130 दिनांक 17.3.99 में उल्लिखित स्पष्टीकरणों पर विचार के पश्चात् बोर्ड ने उपरोक्त कार्य निविदा राशि रू0 5,24,80,983/– से 12.20% अधिक की दर पर रू0 5,88,81,695/– की कुल लागत पर मै0 परमार कंसट्रक्शन कम्पनी को आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी ।

संकल्प संख्या 208

मद संख्या 212 शहरी तथा सदर पहाड़गंज क्षेत्रों में पुरानी पानी की लाइनों को बदलना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/13 1 दिनांक 17.3.99 के पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिये रू0 362.00 लाख के अनुमान को बोर्ड द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

संकल्प संख्या 209

मद संख्या 213 ब्रहमपुरी शाहदरा (भाग–5)में 1400–1800 मि0मी0 व्यास की परिधीय सीवर लाइनों की व्यवस्था/बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/132 दिनांक 17.3.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् बोर्ड ने उपरोक्त कार्य को डी.एस.आर. 1993 से 34% अधिक की दर पर रू0 95,70,679.32 की कुल लागत पर मै0 करम सिंह परमार को आबंटित करने को स्वीकृति प्रदान की दी । कार्यवृत की पुष्टि की प्रत्याशा में कार्य आदेश जारी करने का संकल्प लिया ।

संकल्प संख्या 210

मद संख्या 214 दिल्ली जल बोर्ड के लिये 9000 लीटर क्षमता के माउन्टेड टैंकरों की खरीद ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/133 दिनांक 17.3.99 के पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि 100 के स्थान पर पच्चीस (25) माउन्टैड टैंकरों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की जाती है । उपरोक्त क्रम को विशेष मामले के रूप में पुराने बेकार हो गये टैंकरों को बदलने के लिये स्वीकृत किया गया ।

संकल्प संख्या 211

मद संख्या 215 नजफगढ़ क्षेत्र में पंखा रोड़ के साथ उत्तम नगर चौराहे से डाबरी चौराहे तक 450–400–300 मि0मी0 व्यास की परिधीय पानी की लाइन की व्यवस्था/बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/134 दिनांक 18.3.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् बोर्ड ने उपरोक्त कार्य के लिये रू0 70,48,191/– के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी ।

संकल्प संख्या 212

मद संख्या 216 अधीक्षण अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू)–1 द्वारा निष्पादन कार्य/आपूर्ति की माह मई, 1998 के अनुबंधों की तालिका ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/135 दिनांक 18.3.99 द्वारा अधी0 अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू)–1 द्वारा माह मई,1998 में निष्पादित आपूर्ति/कार्यो के लिये रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के अनुबंधों के संबंध में दी गई सूचना को रिकार्ड करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

संकल्प संख्या 213

मद संख्या 217 दिल्ली जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना – परियोजना तैयारी (विश्व बैंक सहायता प्राप्त) संबंधित शर्तें (टी.ओ.आर.) तथा प्रस्ताव के लिये निवेदन (आर.पी.एफ) ।

चर्चा के दौरान श्रीमती रोशनी बंसल ने बताया कि बोर्ड की पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार विश्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव की विशेषताओं को स्पष्ट करने हेतु एक विशेष बैठक बुलाई जानी थी किन्तु उसके बदले इस प्रस्ताव को विचार हेतु लाया जा रहा है । प्रस्ताव को शीघ्र लाने की आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि विश्व बैंक की समय सूची के अनुसार शार्टलिस्ट किए गए परामर्शदाताओं से 15 अप्रैल से पूर्व तकनीकी तथा वितीय टेण्डर प्राप्त किया जाना है तथा इससे पूर्व विश्व बैंक से प्रस्ताव के लिये निवेदन पर स्वीकृति प्राप्त करनी है । श्रीमती बंसल एवं श्री वर्मा, सदस्यों की मांग कि बाहरी सहायता की आवश्यकता सहित पूरे प्रस्ताव पर पुर्नविचार किया जाये पर अध्यक्ष महोदया ने बताया कि बोर्ड एवं सरकार स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है जो जनता के सर्वोन्तम हित में है और इसलिये यदि कोई विशेष मुददा सदस्यों द्वारा उठाया जाता है तो उसे इसी क्षण प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे विलम्ब नहीं हो ।

यह संकल्प लिया गया कि संशोधित संबंधित शर्तें (टी.ओ.आर.) तथा प्रस्ताव के लिये निवेदन (आर.एफ.पी.) विश्व बैंक की स्वीकृति के पश्चात् 6 चुने हुए परामर्शदाताओं को भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस निर्णय पर कार्यवाही कार्यवृत की पुष्टि की प्रत्याशा में आरम्भ कर दी जाये जिससे कि विभाग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सारिणी का निर्वाह कर सके ।

संकल्प संख्या 214

मद संख्या 218 निदेशक (वि.एवं लेखा) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा0/99/83 दिनांक 28.3.99 में उल्लिखित दिल्ली जल बोर्ड का संशोधित बजट अनुमान 1998–99 तथा बजट अनुमान 1999–2000.

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष 1998–99 का संशोधित बजट अनुमान तथा 1999–2000 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत किया ।

संकल्प संख्या 215

मद संख्या 219 (मेज पर) दोबारा आदेश के आधार पर दि.ज.बोर्ड के विद्यमान उन्नीस क्षेत्रों में जल प्रभार की बिलों को कमप्यूटरीकृत करने के कार्य को आबंटित करना ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/84 दिनांक 28.3.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् उपरोक्त कार्य को दोबारा आदेश के आधार पर मै0 कमप्यूटेक सर्विसेज को रू0 2680,650/– की कुल लागत पर आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

संकल्प संख्या 216

मद संख्या 220 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में माउन्टेड टैंकरों तथा एम.एस.वी. द्वारा पानी पहुंचाने हेतु वाहनों को किराये पर लेना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र संख्या दि.ज.बोर्ड/तक./99/136 दिनांक 28.3.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि उपरोक्त पत्र में वर्णित दरों पर किराये के आधार पर रू0 382.70 लाख की अनुमानित लागत से 500 वाहनों को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई ।

शीला दीक्षित

सचिव

अध्यक्ष